न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 65/2019
सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 23/19

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। ....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री भँवरसिंह पुत्र श्री छोटू सिंह रावणा राजपूत,
   निवासी–झूलेलाल मन्दिर के पीछे, वैशालीनगर, अजमेर।
2. श्री रामराज राव पुत्र श्री कल्याणमल राव,
   निवासी–द्वारा श्री महेन्द्र सिंह रावत, कच्ची बस्ती आंतेड, वैशालीनगर, अजमेर।

............**अप्रार्थीगण**

उपस्थित :–

1. श्रीमति भावना दयाल, प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
2. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 14.11..2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रीफिलिंग की शिकायत पर दिनांक 20.09.2019 को प्रार्थी, खान मौहम्मद खान, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ झूलेलाल मन्दिर के पीछे वैशालीनगर स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के निवास स्थान की जांच किये जाने पर एक कमरे के बाहर खुले स्थान पर गैस रीफिलिंग मशीन से ग्रे (स्लेटी) कलर की मारूति वैन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 01 UA 1811 में भारत कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर के जरिये अवैध रिफलिंग की जा रही थी। मौके पर उपस्थित वैन मालिक अप्रार्थी संख्या 02 श्री रामराज राव ने पुछताछ में, अजमेर में किराये पर वैन चलाने का कार्य करना तथा मौजूदा स्थान पर पहली बार वैन में अपना स्वंय का गैस सिलेण्डर लेकर गैस भराने आना तथा अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी श्रीमती बिदाम से 50/– रूपये में वैन में गैस भरने का सौदा होना स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 02 के इस तथ्य की पुष्टि उपस्थित अप्रार्थी संख्या एक की पत्नी द्वारा भी की गई तथा 50/–रूपये लेकर गैस भरने का कार्य किया जाना स्वीकार किया। इस पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मारूति वैन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 01 UA 1811, गैस रिफलिंग मशीन तथा भारत कम्पनी के 2 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर राजहित में कब्जेराज निकटस्थ स्थित एल.पी.जी. एजेन्सी मैसर्स वर्धमान इण्डेन गैस, अजमेर के मैनेजर श्री त्रिलोकसिंह पुत्र गोपाल सिंह राठौड को बुलाकर उक्त जब्तशुदा मारूति वैन, गैस रिफलिंग मशीन तथा भारत कम्पनी के 2 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर अग्रिम आदेश तक यथावत सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आर्डर –2000 के क्लॉज 3 (1) (ख),(ग) का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये भारत कम्पनी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस रिफलिंग मशीन तथा एक मारूति वैन संख्या RJ 01 UA 1811 को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, स्वयं उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, तथा

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा वास्ते वाहन मारूति वैन संख्या RJ 01 UA 1811 को सुपुर्दगी में दिए जाने का प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा एतराज व्यक्त करते हुए मूल प्रकरण सहित सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया। उपस्थित उभयपक्ष को सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र सहित मूल प्रकरण पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डर रीफिलिंग की शिकायत पर दिनांक 20.09.2019 को प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक खान मोहम्मद खान के साथ अप्रार्थी संख्या 01 के निवास की जांच किये जाने पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 02 को रीफिलिंग मशीन के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से मारूती वैन संख्या RJ 01 UA 1811 में अवैध रिफिलिंग करवाते पाया गया। जांच में मौके पर 02 भारत कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफलिंग मशीन पाई गई। घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में उपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की क्लॉज 3 (1) (ख), (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये भारत कम्पनी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस रिफलिंग मशीन तथा एक मारूति वैन संख्या RJ 01 UA 1811 को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 02 की मारूती वैन संख्या RJ 01 UA 1811 अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त की गई है। जप्त मारूती वैन में आर.टी.ओ से मान्यता प्राप्त गैस किट लगा हुआ है। प्रार्थी संख्या 02 ही उक्त मारूति वैन का पंजीकृत स्वामी है। जप्त वाहन अप्रार्थी के परिवार के रोजमर्रा के काम आने वाला एक मात्र साधन है जिसके जब्त किये जाने से अप्रार्थी को काफी आर्थिक हानि एवं असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः जप्त मारूती वैन संख्या RJ 01 UA 1811 को छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफलिंग मशीन के जरिये मारूति वैन संख्या RJ 01 UA 1811 में अवैध रूप से रिफलिंग की जा रही थी। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 की क्लॉज 3 (1) (ख), (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भारत कम्पनी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाता है। चूंकि जप्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत, वाहन मारूती वैन संख्या RJ 01 UA 1811 पर रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार मात्र) की जुर्माना राशि कायम की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जप्त वाहन मारूती वैन संख्या RJ 01 UA 1811 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर, बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। प्रार्थना पत्र/सुपुर्दगीनामा दर्ज फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner